



2026:AHC:17138

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 45498 सन् 2025

इन्द्रकली

..... याचिककर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 10 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिककर्ता(गण) के अधिवक्ता: राम नारायण

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: आजाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि उ.प्र. भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के अन्तर्गत याची द्वारा प्रारम्भ की गई कार्यवाही, वाद संख्या T201802030804244/2018 (इन्द्रकली बनाम ग्राम पंचायत) में, प्रतिवादी संख्या 2 / उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मेजा इलाहाबाद द्वारा दिनांक 24.06.2025 को एक आदेश पारित किया गया जिसके द्वारा अंतिम डिक्री तैयार करने का निर्देश दिया गया। यह तर्क दिया जाता है कि पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, किंतु आज तक विषय में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
2. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 शीघ्रता से अंतिम डिक्री तैयार करेंगे।
3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
4. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत तथा मामले के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना, वर्तमान याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि सक्षम प्राधिकारी डिक्री को अत्यंत शीघ्रता से तैयार करे तथा अधिमानतः प्रतिवादी संख्या 2 / उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मेजा इलाहाबाद द्वारा दिनांक 24.06.2025 को पारित आदेश का शीघ्रता से अनुपालन करे, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

22 जनवरी, 2026

सकलैन

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।